पत्रांकः– 04/NULM- 65 /2016/.....2784

(272)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांकः 7/12/16

विषयः– चिन्हित शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को Vending Zone में बसाने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 2659 दिनांक– 02.12.2016 ।

महाशय,

पत्रांक–4332
दिनांक–03.10.15
पत्रांक–4946
दिनांक–11.12.15
पत्रांक– 5021
दिनांक–16.12.15
पत्रांक– 5043
दिनांक–17.12.15
पत्रांक–167
दिनांक–28.01.16
पत्रांक–2376
दिनांक–26.10.16

उपर्युक्त विषयक उपान्त में उद्धृत पत्रों का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन **(DAY-NULM)** के घटक **Support to Urban Street Vendors (SUSV)** के अधीन नगरीय फुटपाथ विक्रय योजना **(City Street Vending Plan)** तैयार कर फुटपाथ विक्रेताओं को विक्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए दिशा–निर्देश निर्गत है। शहरी क्षेत्रों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि, फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा संड़कों का अतिक्रमण कर विक्रय कार्य किया जाता है जिससे यातायात में परेशानी होती है तथा सड़कों पर जगह–जगह कूड़े के ढ़ेर जमा हो जाते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद भी दायर किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, संपूर्ण देश में फुटपाथ **विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2014** लागू है और इस अधिनियम की **धारा– (3) से (11)** के आलोक में नगरीय फुटपाथ विक्रय योजना **(City Street Vending Plan)** तैयार कर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए पथ विक्रय विनिमयम **(Regulation of Street Vending)** का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन स्थापित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि नगरीय फुटपाथ विक्रय योजना **(City Street Vending Plan)** एवं वेंडिंग जोन के निर्माण का प्रस्ताव नगर विक्रय समिति **(Town Vending Committee)** से पारित कराकर यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

6/12/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 2784 **दिनांक–** 7/12/16

प्रतिलिपिः– संबंधित जिला पदाधिकारी/ अध्यक्ष, संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने–स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6/12/2016

प्रधान सचिव

01C